भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 840
07 फरवरी, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना

840. श्रीमती रंजनबेन भट्ट:
श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी:
श्री धर्मवीर सिंह:
श्री एस.आर. पार्थिबन:
श्री निहाल चन्द चौहान:
डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक:
श्रीमती जसकौर मीना:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जैविक और प्राकृतिक खेती की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) राजस्थान और तमिलनाडु सहित देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार इसके अंतर्गत अब तक संस्वीकृत, आबंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बढ़ती लागत और बीमारियों को देखते हुए रासायनिक उर्वरक मुक्त खेती और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनाने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) देश में आज तक इसके अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए जैविक कृषि उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या पूरे विश्व में इसकी मांग में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा बढ़ती मांग को पूरा करने और देश में विपणन सुविधांए प्रदान करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) हिमालयी क्षेत्रों में जैविक खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र कौन-कौन से हैं और विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त क्षेत्रों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं; और

(छ) क्या केंद्र सरकार देश में यूरिया के अत्यधिक उपयोग को कम करने के लिए किसी वैकल्पिक योजना पर काम कर रही है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): जैविक और प्राकृतिक खेती की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

जैविक खेती-

- "राष्ट्रीय जैविक उत्पादन मानक (एनएसओपी)" ने जैविक कृषि को एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए कृषि डिजाइन और प्रबंधन की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है जो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों जैसे कृत्रिम ऑफ-फार्म इनपुट के उपयोग के बिना सतत उत्पादकता प्राप्त कर सकता है। जैविक खेती में ऑफ-फार्म किए गए खरीदे गए जैविक और जैविक आदानों के उपयोग और प्राकृतिक रूप से खनन किए गए खनिजों के माध्यम से आवश्यकता आधारित मृदा सुधार शामिल हैं।

प्राकृतिक खेती -

- प्राकृतिक खेती एक पारिस्थितिक खेती प्रणाली है जो ऑन-फार्म संसाधन प्रबंधन और ऑन-फार्म बायोमास रीसाइक्लिंग पर आधारित है जिसमें बायोमास मल्चिंग, गाय के गोबर-मूत्र के योगों और अन्य पौध आधारित सामग्री पर बल दिया जाता है। इसमें सभी बाहरी आदानों (जैविक और अजैविक) का उपयोग नहीं होता, और इसलिए खेती की लागत कम होती है।

(ख): प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) योजनाओं के तहत राजस्थान और तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के आवंटन, निर्मुक्ति और उपयोग का विवरण खेती अनुबंध- I पर दिया गया है।

(ग): परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) को वर्ष 2020-21 से प्राकृतिक खेती सहित पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। यह योजना मुख्य रूप से सभी सिंथेटिक रासायनिक आदानों के बहिष्करण पर जोर देती है और बायोमास मल्चिंग, गाय के गोबर-मूत्र योगों के उपयोग और अन्य पौध आधारित सामग्री पर जोर देने के साथ-साथ खेत में बायोमास रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देती है। बीपीकेपी के तहत, क्लस्टर गठन, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा निरंतर हैंडहोल्डिंग, प्रमाणन और अवशेष विश्लेषण हेतु 3 वर्ष के लिए 12200 रूपए/हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

सरकार वर्ष 2015-16 से परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) की योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है। पीकेवीवाई को पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों के अलावा देश भर के सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

एमओवीसीडीएनईआर योजना विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में लागू की जा रही है। इन योजनाओं के तहत, किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और जैविक उत्पादों के उत्पादन से लेकर विपणन तक सहायता प्रदान की जाती है।

पीकेवीवाई के तहत, किसानों को 3 वर्ष के लिए 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से किसानों को ऑन-फार्म और ऑफ-फार्म जैविक आदानों के लिए 3 वर्ष के लिए 31,000 रुपये प्रति हेक्टेयर सीधे डीबीटी के माध्यम से प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किए जाते हैं। जबकि, एमओवीसीडीएनईआर के तहत, एफपीओ बनाने, जैविक आदानों के लिए किसानों को सहायता, गुणवत्ताप्रद बीज/रोपण सामग्री और प्रशिक्षण, हैंड होल्डिंग और प्रमाणन हेतु 3 वर्ष के लिए 46,575 रूपए/हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से किसानों को ऑफ-फार्म और ऑन-फार्म जैविक आदानों के लिए 32,500 रूपए/हे 3 वर्ष के लिए प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किए जाते हैं।

(घ): वर्ष 2015-16 से पीकेवीवाई योजना के अंतर्गत उपलब्धियां

- कुल निधि 1674.82 करोड़ रुपये जारी की गई
- कुल 6.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है
- दोनों चरणों में 32384 क्लस्टरों में 16.19 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
- उपरोक्त के अतिरिक्त नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 1.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की गई है।
- प्राकृतिक खेती (बीपीकेपी) के तहत 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लिए निधि जारी की गई।
- 8 राज्यों अर्थात् मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा ने जैविक उत्पादों के लिए अपने स्वयं के ब्रांड विकसित किए हैं।

वर्ष 2015-16 से एमओवीसीडीएनईआर योजना के तहत उपलब्धियां

- कुल निधि 878.17 करोड़ रुपये जारी की गई
- 189039 किसानों और 172966 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 379 एफपीओ/एफपीसी बनाए गए
- एफपीओ/एफपीसी और निजी स्वामित्व के तहत 367 संग्रह, एकत्रीकरण, ग्रेडिंग इकाइयां, कस्टम हायरिंग सेंटर, 74 प्रसंस्करण और पैक हाउस इकाइयां बनाई गईं

- एफपीओ/एफपीसी को 124 परिवहन वाहन प्रदान किए गए
- 8 पूर्वोत्तर राज्यों ने जैविक उत्पादों के लिए अपने स्वयं के ब्रांड विकसित किए

पिछले **3** वर्षों के दौरान निर्यात किए गए जैविक कृषि उत्पाद

क्र.सं.	**वर्ष**	**निर्यात की मात्रा (एमटी में)**	**मूल्य (करोड़ में)**	**मूल्य (मिलियन अमेरीकी डॉलर में)**
1	2021-22	460320	5249.32	771.96
2	2020-21	888179	7078.50	1040.96
3	2019-20	638998	4686.00	689.10

(स्रोत: एपीडा)

(ङ.): वर्ष 2022 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट (आईएफओएएम) जर्मनी और एफआईबीएल स्विट्जरलैंड द्वारा प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक जैविक बाजार पिछले छह वर्षों (2015-2020) के दौरान 8.7% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ रहा है । मूल्य के संदर्भ में, बाजार का आकार वर्ष 2015 में 84 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2020 में 129 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है जो यह दर्शाता है कि पूरी दुनिया में जैविक उत्पादों की मांग में वृद्धि हुई है।

पीकेवीवाई के तहत 3 वर्ष के लिए 15.0 लाख रुपये/1000 हेक्टेयर क्लस्टर की दर से सहायता प्रदान की जाती है, जिससे किसानों को उनके जैविक उत्पादों को खरीदारों को सीधे विपणन करने की सुविधा मिलती है। इसके अलावा, ब्रांडिंग, प्रचार, प्रदर्शनी, व्यापार मेलों और अन्य विपणन पहलों के लिए किसानों से जैविक उत्पादों की सीधी खरीद का समर्थन करने के लिए 3 वर्ष के लिए 53.0 लाख रुपये/1000 हेक्टेयर क्लस्टर की दर से सहायता प्रदान की जाती है। एमओवीसीडीएनईआर के तहत प्रमाणित जैविक उत्पादों के विपणन के लिए 3 वर्ष तक 500 किसानों को 25.0 लाख रुपये/एफपीओ/एफपीसी की सहायता का प्रावधान है। इसके अलावा, किसानों से सीधे उपभोक्ताओं तक जैविक उत्पादों के सीधे विपणन को बढ़ावा देने के लिए, एक समर्पित वेब पोर्टल- www.Jaivikkheti.in/ को जैविक उत्पादों के लिए बेहतर कीमत प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है।

(च): वर्ष 2021-22 के दौरान हिमालयी क्षेत्र के राज्यों में जैविक खेती के तहत क्षेत्र:

क्रमांक	राज्य का नाम	कुल क्षेत्र (हेक्ट में)
1	उत्तराखंड	89,670.88
2	सिक्किम	75,475.28
3	जम्मू और कश्मीर	30,675.58
4	मेघालय	27,508.74
5	मिजोरम	19,038.89
6	असम	18,102.94
7	मणिपुर	14,628.42
8	नागालैंड	14,269.27
9	अरुणाचल प्रदेश	12,636.64
10	त्रिपुरा	12,081.63
11	हिमाचल प्रदेश	11,160.55
12	पश्चिम बंगाल	7,280.37
13	लद्दाख	817.85
कुल		333,347.04

सरकार हिमालयी क्षेत्र के राज्यों लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पीकेवीवाई योजना कार्यान्वित कर रही है, जबकि वर्ष 2015-16 से सभी पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक खेती के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) को कार्यान्वित किया जा रहा है। इन योजनाओं के तहत, किसानों को जैविक खेती के लिए सहायता प्रदान की जाती है और जैविक उत्पादों के उत्पादन से लेकर विपणन तक समग्र सहायता प्रदान की जाती है।

(छ): सरकार मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी)/मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचएम) योजनाओं के तहत यूरिया की अत्यधिक खपत को कम करने के लिए मृदा स्वास्थ्य, उर्वरता और उत्पादकता में सुधार हेतु जैव उर्वरकों और जैविक खाद के साथ रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से समेकित पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) को बढ़ावा दे रही है। पीकेवीवाई और एमओवीसीडीएनईआर योजना के तहत जैविक खेती के लिए जैविक खाद और जैव-उर्वरकों का उपयोग किया जाता है जिससे यूरिया सहित रासायनिक उर्वरकों की खपत कम हो जाती है।

अनुबंध - I

वर्ष 2015-16 से 2022-23 तक (31.01.23 तक) पीकेवीवाई और एमओवीसीडीएनईआर योजनाओं के तहत राज्य-वार आवंटन, निर्मुक्ति और उपयोग (रुपये लाख में)							
क्र. सं.	राज्य का नाम	पीकेवीवाई*			एमओवीसीडीएनईआर **		
		आवंटन	निर्मुक्ति	उपयोग	आवंटन	निर्मुक्ति	उपयोग
1	आंध्र प्रदेश	38934.34	31721.49	21716.66	0.00	0.00	0.00
2	बिहार	10459.94	2922.40	2509.82	0.00	0.00	0.00
3	छत्तीसगढ़	16167.62	6006.42	4582.61	0.00	0.00	0.00
4	गुजरात	967.47	1094.12	680.29	0.00	0.00	0.00
5	गोवा	4121.34	504.90	152.05	0.00	0.00	0.00
6	हरियाणा	211.95	104.56	25.20	0.00	0.00	0.00
7	झारखंड	8822.75	2682.42	1775.05	0.00	0.00	0.00
8	कर्नाटक	9084.15	4483.81	4359.42	0.00	0.00	0.00
9	केरल	12317.27	4576.73	2804.14	0.00	0.00	0.00
10	मध्य प्रदेश	38844.83	13380.63	10650.49	0.00	0.00	0.00
11	महाराष्ट्र	14367.01	9685.85	9321.52	0.00	0.00	0.00
12	ओडिशा	9529.82	7737.88	7254.95	0.00	0.00	0.00
13	पंजाब	3140.39	2685.05	881.26	0.00	0.00	0.00
14	राजस्थान	43573.81	15616.26	13102.89	0.00	0.00	0.00
15	तमिलनाडु	3091.05	2274.35	2046.73	0.00	0.00	0.00
16	तेलंगाना	7628.30	2369.78	1810.30	0.00	0.00	0.00
17	उत्तर प्रदेश	32000.74	12604.66	9003.33	0.00	0.00	0.00
18	पश्चिम बंगाल	1642.55	1259.57	678.90	0.00	0.00	0.00
19	असम	3204.97	3012.55	2380.41	16384.69	7697.54	7683.87
20	अरुणाचल प्रदेश	288.96	234.56	132.49	14741.41	12104.28	11086.84
21	मिजोरम	492.80	469.61	439.67	12219.79	7699.55	6747.01
22	मणिपुर	438.44	163.46	107.07	24172.59	22209.96	22115.03
23	नागालैंड	356.90	333.72	290.73	16290.45	13629.57	12934.27
24	सिक्किम	2069.19	1848.88	904.49	18784.82	9622.46	9122.14
25	त्रिपुरा	710.23	687.05	607.48	14397.79	7749.05	6607.73
26	मेघालय	642.28	448.12	303.57	13973.19	5772.61	4781.76
27	हिमाचल प्रदेश	5652.83	3044.52	1920.87	0.00	0.00	0.00
28	जम्मू और कश्मीर	1065.45	162.76	162.76	0.00	0.00	0.00
29	उत्तराखंड	49844.06	36795.78	33493.17	0.00	0.00	0.00
30	अंडमान एवं निकोबार	1026.77	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	दमन और दीव	830.47	235.55	0.00	0.00	0.00	0.00
32	दादर नगर	7549.75	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	दिल्ली	7549.75	471.45	0.00	0.00	0.00	0.00
34	पुदुचेरी	307.96	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
35	चंडीगढ़	663.00	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00
36	लक्षद्वीप	1604.21	227.20	0.00	0.00	0.00	0.00
37	लद्दाख	2023.43	221.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	341226.79	171303.90	134098.33	130964.72	86485.02	81078.65
* पीकेवीवाई योजना वर्ष 2018-19 से पूर्वोत्तर राज्यों में बंद कर दी गई							
**एमओवीसीडीएनईआर योजना पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है							

******